

8-9-19

पञ्जावली राष्ट्रीय लौकिक अदालत में पेश हुई।
पञ्जावली वकील उफारवील हैं। मूल वाद
द्विजे हो चुका है। इस साल के 7-2. प्रावण
का जब कोई आँदित्य नहीं रह गया है अतः
मूल वाद के परिपेक्ष में 7-2. प्रावण
व्यतिरिक्त विभागाध्यक्ष पञ्जावली पेंसल
शुमार होकर रजि नम्बर से काम हो। आदेश
नवली लौकिक अदालत में सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
झाँसर लोक